

# न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 57 / 2022 तारीख 16.8.22 दिनांक निर्णय 8.9.22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हनुमान किरौलपुर बनाम कंठीधर रामाकेशन पिता  
शिवकरन, राधे पुत्र पुत्र पुत्री  
पत्नी देविकाण देवी मीना सि लक्ष्मी  
पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब

आज पत्रावली मु. - 21/8/22

पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206..2..27.9 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि-

गैरसायल कंठीधर रामाकेशन पुत्रान शिवकरन कंठी को  
जाति धीर निवासी कावडी  
आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.40 ई किस्म चरागाह वाके ग्राम कावडी  
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 2.40 की 50 गुणा में मु.  
120=00 एक से की कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनाथ लिखा लावें।

एकसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23  
के पृष्ठ संख्या 14 पृष्ठ चा. प. 120/-  
राशि कायम किये गये।

पेठकि  
त. रा. लेखाकार

  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)  
राजगढ़ (अलवर)